<u>न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू</u>

पीठासीन अधिकारी : चन्द्रशेखर

मिसल नं.– 59 / 2024

सरकार बनाम श्रीकृष्ण,रतनसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी स्वामीसेही

किस्म मुकदमा–अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः 18.06.2024

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल श्रीकृष्ण,रतनसिंह पुत्र मोहरसिंह , जाति जाट निवासी स्वामीसेही तहसील सूरजगढ द्वारा रोही मौजा स्वामीसेही की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 347 के कुल रकबा 39.07 है गै. मु. जोहड में से 0.45 है. भूमि पर मकान व बाग कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने जरिये पुत्र हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्व बेदखल करने के आदेश दिए जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 34 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे।। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतू लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06..2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर)

तहसीलदार, सूरजगढ़